न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. शेरसिया अब्दुल लतीफ पुत्र शेरसिया अहमद भाई, जाति- मोमिन, पोस्ट वादरपुरा, गांव-टोकारिया, तालुका-पालनपुर, जिला- बनासकांठा (गुजरात)

फर्म:- होटल सिरोही इन, पालडी एम., N.H.62, तहसील- शिवगंज, जिला-सिरोही

2. MAHERALI NURMOHAMAD KOJAR S/0 Nurmohamad Ibrahim Bhai Kojar, 172 meenwas, Jafaripura-384290, Talluka-Sidhpur,, Dist. Patan (Guj.)

फर्म:- AMENITY TRADERS, Acumen Commercial Centre, Highway Road, Sidhpur, Dist. Patan (Gujrat)

3(1). महेश कुमार त्रिकमलाल पाढियार, TP 37, Food King Empire, S P 100, Thaltej, Ahmedabad, Gujrat -380006

3(2). रमेश कुमार त्रिकमलाल पाढियार, TP 37, Food King Empire, S P 100, Thaltej, Ahmedabad, Gujrat -380006

3(3). मुकेश कुमार त्रिकमलाल पाढियार, TP 37, Food King Empire, S P 100, Thaltej, Ahmedabad, Gujrat -380006

3(4). श्वेतल महेश कुमार पाढियार, TP 37, Food King Empire, S P 100, Thaltej, Ahmedabad, Gujrat -380006

3(5). धवल रमेश कुमार पाढियार, TP 37, Food King Empire, S P 100, Thaltej, Ahmedabad, Gujrat -380006
(प्रतिवादी संख्या- 1 से 5 निदेशक निर्माता फर्म)

निर्माता फर्म:-FOOD Solution (India) Limited, Block No.2008/A, 2009/A, Kalol Vamaj Road, Vamaj-382721, Dist.-Mehsana (Gujrat)

प्रकरण संख्या: 28/2019

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी मुकेश कुमार त्रिकमलाल पाढियार

-: निर्णय :-

दिनांक 14 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 21.1.2019 को समय 1.30 पी.एम.

.....पेज दो पर

पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स होटल सिरोही इन, पालडी एम., एन.एच. 62, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति शेरसिया अब्दुल लतीफ पुत्र शेरसिया अहमद भाई, जाति- मोमीन, पोस्ट-बादरपुरा, गांव-टोकरिया, तालुका-पालनपुर, जिला- बनासकांठा (गुजरात) है एवं होटल सिरोही इन, पालडी एम., एन.एच.62, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) से सांभर तैयार कर विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं होटल के स्टोर में आलमारी की रैक में मौजूद सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के 6 पैक्ड पैकेटो (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक किलोग्राम) जांच हेतु खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 880/- नकद अदा कर खरीद रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए तैयार किया एवं खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए मूल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S-867, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं मैंनें स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक S-867 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफो को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.1.2019 को नमूने का

.....पेज तीन पर

एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 21.1.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-867 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता शेरसिया अब्दुल लतीफ एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असन्तुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, लेकिन शेरसिया अब्दुल लतीफ एवं निर्माता फर्म ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। इस प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादी अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिनांक 13.12.2019 को प्रतिवादी संख्या-1 (शेरसिया अब्दुल लतीफ) ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 3(1) से 3(5) की ओर से डाक के माध्यम से संयुक्त लिखित जवाब इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिल पंजीकृत डाक के माध्यम से होने के बाजवूद भी प्रतिवादी संख्या-2 इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ एवं न ही कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 12.2.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या- 3(3) मुकेश कुमार इस न्यालय में उपस्थित हुये। प्रकरण में दिनांक 12.2.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी मुकेश कुमार को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के

....पेज चार पर

दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या- 3(3) ने प्रतिवादी संख्या- 3(1) से 3(5) की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर Best before Small Letters में अंकित होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) को मिथ्याछाप होना माना है, इसके अलावा अन्य किसी तरह से मिथ्याछाप नही पाया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 21.1.2019 को 1.30 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम., N.H.62, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम., N.H.62, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से शेरसिया अब्दुल लतीफ पुत्र शेरसिया अहमद भाई, जाति- मोमिन, पोस्ट- बादरपुरा, गांव- टोकरिया, तालुका- पालनपुर, जिला- बनासकांठा (गुजरात) उपस्थित मिले, जो आम जनता को सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) से सांभर तैयार कर विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल सिरोही इन, पालडी एम., N.H.62, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता शेरसिया अब्दुल लतीफ को उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा होटल के स्टोर में आलमारी की रैक में मौजूद सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के 6 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक किलोग्राम) को जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 880/- (अक्षरे रुपये आठ सौ अस्सी मात्र) अदा कर क्रय करने का रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हैं जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-867, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता शेरसिया अब्दुल लतीफ व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये

.....पेज पांच पर

व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के खरीद शुदा 4 पैक्ड पैकेटो पर एक-एक लेवल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक S-867 को नियमानुसार गोंद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता शेरसिया अब्दुल लतीफ व उक्त गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल सिरोही इन, पालडी एम., N.H.62, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता शेरसिया अब्दुल लतीफ से खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेटो (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 को दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा दिनांक 22.1.2019 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं फार्म नम्बर-6 के सील बन्द लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 21.1.2019 को ही जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-867 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./24/Act/2019/78 दिनांक 31.1.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम., N.H.62, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता शेरसिया अब्दुल लतीफ से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक

....पेज छः पर

अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के पैकिगं लेवल पर Best before को Small letters अंकित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/1810-13 दिनांक 20.2.2019 से प्रतिवादी संख्या-1 (शेरसिया अब्दुल लतीफ) व निर्माता फर्म Food Solution (India) Limited को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित गई है, किन्तु इन्होनें पुन: जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 की फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम., N.H.62, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के एक-एक किलोग्राम के पैक्ड पैकेटो को प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म Amenity traders, Acumen Commercial Centre, Highway Road, Sidhpur से वेट इनवोइस नम्बर T/3750 दिनांक 08.12.2018 के द्वारा क्रय किया गया था। प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म Amenity traders, Acumen Commercial Centre, Highway Road, Sidhpur ने उक्त खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के एक-एक किलोग्राम के पैक्ड पैकेटो को फर्म FOOD Solution (India) Limited, Block No.2008/A, 2009/A, Kalol Vamaj Road, Vamaj-382721, Dist.-Mehsana (Gujrat) से वेट इनवोइस नम्बर M18-19/521 दिनांक 20.10.2018 के द्वारा क्रय किया गया है, जो उक्त खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त निर्माता फर्म Food Solution (India) Limited ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उक्त निर्माता फर्म Food Solution (India) Limited ही मुख्य रुप से दोषी व उत्तरदायी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

.....पेज सात पर

करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत खाद्य पदार्थ सांभर पेस्ट (करामात ब्राण्ड) की निर्माता फर्म Food Solution (India) Limited, Block No.2008/A, 2009/A, Kalol Vamaj Road, Vamaj-382721, Dist.-Mehsana (Gujrat) पर राशि. रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म Food Solution (India) Limited, Block No.2008/A, 2009/A, Kalol Vamaj Road, Vamaj-382721, Dist.-Mehsana (Gujrat) के निदेशक (प्रतिवादी संख्या- 3(1) से 3(5) को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Foom Solution (India) Limited, Block No.2008/A, 2009/A, Kalol Vamaj Road, Vamaj-382721, Dist.-Mehsana (Gujrat) पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: